तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/3416/2015/जयपुर** **चून्नीलाल बनाम नानूराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ

श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री अविनाश माथुर, अभिभाषक प्रार्थी।
(2) श्री अजयपाल ढिडारिया, अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1 ल0 4

निर्णय **दिनांकः 20.07.2023**

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 सपठित धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान सहायक कलक्टर, सांभरलेक दिनांक 11–03–2015 प्रकरण सं0 415/2008 बउनवानी ओम प्रकाश बनाम रामदेव के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें विद्वान सहाहयक कलक्टर, सांभरलेक ने अपने आक्षेपित आदेश से प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 स्वीकार किया है।

2– निगरानी पर योग्य अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

3– योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश न्याय, नियम एवं रिकॉर्ड के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 24 से 31 द्वारा उनके न्यायालय में काउंटर टी.आई. प्रस्तुत कर रखी है जिस पर उनके द्वारा अपने असल अप्रार्थी सं0 5 ल0 13 को दौराने दावा विवादित आराजी को बेचान नहीं करने हेतू पाबन्द किया था। अप्रार्थी सं0 5 ल0 13 द्वारा दौराने वाद बिना न्यायालय की आज्ञा के जो आराजी का बेचान किया है ऐसे बेचान की कानूनन कोई वैधता नहीं है ना ही ऐसे बेचान के आधार पर खरीददार को कोई हक व हकूक प्राप्त होते हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत काउंटर टी.आई. में उनके द्वारा अप्रार्थी को दौराने दावा विवादित आराजी को दिगर व्यक्तियों को विक्रय करने हेतु पाबन्द किया था किन्तु असल अप्रार्थी सं0 5 ल0 13 द्वारा विवादित आराजी का बेचान कर दिया गया है और ऐसे बेचान धारा 52 संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दौराने वाद किसी भी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र को निर्णित करते समय न्यायालय को यह सुनिशचित करना आवश्यक है कि आवेदक जो कि वाद में पक्षकार बनना चाहता है वह किस प्रकार वाद में आवश्यक पक्षकार है और क्या न्यायालय उसकी उपस्थित

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/3416/2015/जयपुर** **चून्नीलाल बनाम नानूराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

के बिना पूर्ण एवं प्रभावी निर्णय प्रदान नहीं कर सकती है। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने अपना आदेश प्रदान करते समय मुकदमें के तथ्यों व कानूनी प्रावधानों का सही रूप विवेचन एवं विश्लेषण नहीं कर एवं कानूनी नजीरों को नजर अन्दाज कर सरसरी तौर पर जो आदेश प्रदान किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान विचारण न्यायालय ने अप्रार्थी सं0 1 ल0 4 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 को स्वीकार करते समय उन्होंने अपना कोई न्यायिक विवेक नहीं लगाया और ना ही उन्होंने कोई प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने बाबत् कोई न्यायिक कारण अंकित किया। इस कारण उनका आदेश एक स्पीकिंग आदेश की तारिफ में नहीं आता है ना ही न्यायिक आदेश की तारिफ में आता है। इस कारण माननीय न्यायालय ऐसे आदेशों को धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग कर उसे निरस्त करे। निगरानी दायर करने की कोई म्याद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में दी गई है इस कारण प्रार्थी की यह निगरानी पूर्ण कोर्ट फिस पर प्रस्तुत है। अतः निगरानी प्रार्थी स्वीकार फरमायी जाकर सहायक कलक्टर, सांभरलेक के आदेश दिनांक 11–03–2015 को निरस्त किया जाकर अप्रार्थी सं0 1 ल0 4 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 मय हर्जा खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया।

4– प्रत्युत्तर में योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिये कि निगरानी प्रार्थीगण की निगरानी को निर्णित कर दिया जावें।

5– हमने योग्य अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस पर मनन किया। उपलब्ध रेकार्ड का आधोपान्त अध्ययन एवं अवलोकन किया गया।

6– विद्वान सहायक कलक्टर, सांभरलेक ने अपने आदेश दिनांक 11–03–2015 में अंकित किया कि प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है।

7– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान सहायक कलक्टर, सांभरलेक ने अपने आदेश दिनांक 11–03–2015 में केवल यह अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 में क्या तथ्य अंकित किये गये, क्या बहस की गई। किसी भी प्रकार का विवेचन अंकित नहीं किया गया है। विद्वान सहायक कलक्टर, सांभरलेक का आदेश नॉन स्पीकिंग एवं नॉन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/3416/2015/जयपुर** **चून्नीलाल बनाम नानूराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

रिजण्ड आदेश होकर काबिल खारिजी है।

8– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर विद्वान सहायक कलक्टर, सांभरलेक का आदेश दिनांक 11–03–2015 खारिज किया जाता है।

9– विद्वान सहायक कलक्टर, सांभरलेक को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 1 नियम 10 सी0पी0सी0 पर उभयपक्ष को सुनकर बोलता हुआ सकारण (Speaking & reasoned) आदेश पारित करें।

10– उभयपक्ष विद्वान सहायक कलक्टर, सांभरलेक में आगामी नियत दिनांक को उपस्थित हो।

11– पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नियमानुसार नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य